फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— श्री करणसिंह **विपक्षी :— राज्य**

किस्म मुकदमा — 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 17/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.05.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान—2023 कैम्प नामरी में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त, शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादीगण की माता का नाम छगा कुंवर पत्नी उम्मेदसिंह गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक ग्रा.प.2023—24/21 दिनांक 18.05.2023 प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादीगण की माता का नाम हंसाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह अंकित है। राजपेरोकार मावली व ग्राम पंचायत सालेराकलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा छगा कुंवर पत्नी उम्मेदसिंह एवं हंसाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह दोनों को एक ही महिला होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादीगण की माता का नाम हंसाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **—: आदेश :—** परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा शोभजी का खेडा पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 100 से 105, 89, 91, 92, 98, 99 किता 11 रकबा 2.6385 हेक्टेयर भूमि में खातेदार छगाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत के बजाय छगाकुंवर उर्फ हंसाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023"

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 17/23 (वाद) GCMS No. : 2023/41

उनवान

1. श्री करणसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
2. श्री रणजीतसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
3. श्री शम्भुसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।
4. श्री हरिसिंह पिता उम्मेदसिंह राजपूत निवासी शोभजी का खेडा तह. मावली।

........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का नामरी तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा शोभजी का खेडा पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 100 से 105, 89, 91, 92, 98, 99 किता 11 रकबा 2.6385 हेक्टेयर भूमि में खातेदार छगाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत के बजाय छगाकुंवर उर्फ हंसाकुंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:05:13 IST
Reason: SelfAttested